17/7/20
हस्ताक्षर

पवन
प्र-न्याधि
[illegible]

वादीगण व उनके अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र
पर पत्रावली पेश हुई। वादीगण ने प्रार्थना पत्र
पेश कर निवेदन किया कि वह अपने वाद
को आगे नहीं चलाना चाहता अतः खारिज करना
चाहता है। वादीगण को सुना गया। वादीगण
का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश
पत्रावली किया जाता। वादीगण को प्रस्ताव
की समय सीमा हेतु के की। वादीगण अपना
वाद नहीं चलाना चाहते अतः वाद खारिज
किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर
दाखिल दफ्तर हो तथा वाद रजिस्टर में दर्ज
अदालत हो।